न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 286/2022

सज्जन सिंह पुत्र स्व0 मेहरचन्द, उम्र 63 साल, जाति जाट, निवासी मेहाडा जाटूवास, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0)।

––आवेदक

बनाम

1. श्रीमती मन्ना देवी पत्नि रामप्रकाश गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी चिरानी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।
2. छलीप दत्तक पुत्र कुरडाराम, जाति जाट, निवासी किढवाना, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
3. इण्डियन ऑवरसीज बैंक, कोलिहान नगर, खेतडी जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. उप पंजीयक, खेतडी, जिला झुंझुनूं।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी, जिला झुंझुनूं।
6. जयप्रकाश पुत्र सज्जन सिंह, जाति जाट, निवासी मेहाडा जाटूवास, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।
7. श्री जयसिंह, उपखण्ड अधिकारी, खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

–– अनावेदकगण

— — —

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत स्थानान्तरित किये जाने बमुकदमा उनवानी सज्जन सिंह बनाम मन्ना देवी वगैरह मुकदमा नम्बर 215/2016 दावा घोषणात्मक खातेदार, रिकार्ड दुरूस्ति व स्थाई निषेधाज्ञा, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतडी, आगामी पेशी 22.08.2022

— — —

उपस्थितः–

1. श्री राजेश बागोरिया, अभिभाषक– आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री इन्द्रजीत शर्मा, अभिभाषक– अनावेदक सं0 1 लगायत 2 की ओर से उपस्थित।
3. अनावेदक सं0 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।
4. अनावेदक सं0 6 की तलबी बन्द।
5. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अनावेदक सं0 4, 5, 7 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 02.11.2022

आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित प्रकार प्रस्तुत है कि आवेदक ने एक वाद घोषणात्मक खातेदारी, रिकार्ड दुरूस्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम मेहाडा गुर्जरवास तहसील खेतडी सिति कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 67 रकबा 0.57 हैक्टर, ख0न0 71 रकबा 0.33 हैक्टर, ख0न0 1442/71 रकबा 0.06 हैक्टर कुल कि[illegible] रकबा 0.96 हैक्टर जिसके गत खसरा नम्बर 43 रकबा 2 बीघा 13 बिश्वा का खातेदार वादी [illegible] पिता [illegible] संवत 2012 से 2015 तक उप कृषक दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 1485/42 रकबा 1 बीघा 3 बि[illegible] का एकांकी उपकृषक नारायण सिंह राजपूत दर्ज रिकार्ड है। परन्तु उक्त खसरा [illegible] मेहरचन्द ही काश्त [illegible] था जिसका इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 मे दर्ज रिकार्ड है। [illegible] प्रकार वादग्रस्त कृषि भू[illegible] वादी के पिता के देहान्त के बाद निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विपक्षी नं0 2 के मन मे बेइमानी आ गई जिसने लालचवंश गलत राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाते हुए वर्णित भूमि 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 19.05.2016 को विक्रय कर दिया जबकि विपक्षी नं0 2 का उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:31 IST
Reason: SelfAttested

ादग्रस्त कृषि भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। वादी के द्वारा उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी खेतडी के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। जिसमे विपक्षी नं0 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा विपक्षी संख्या 3 लगायत 5 के विरूद्व दिनांक 30.12.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से मौजूदा वाद मे ऑर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो सारहीन होने से दिनांक 04.01.2017 को खारीज किया गया। मामले मे जबाब दावा रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 26.12.2017 को विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपखण्ड अधिकारी खेतडी के समक्ष मामले मे शीघ्र निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा मामले मे शीघ्र तनकीयात कायम कर निस्तारण हेतु निवेदन किया। जिस पर दिनांक 24.06.2022 को तनकीयात कायम की गई तथा साक्ष्य वादी मे 15.07.2022 को तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 15.07.2022 को पी0ओ0 साहब दौरे पर होने से साक्ष्य वादी मे आगामी पेशी दिनांक 12.08.2022 नियत की गई तथा दिनांक 12.08.2022 को साक्ष्य वादी मे ही आगामी पेशी 22.08.2022 मे नियत की गई। दिनांक 12.08.2022 को उपखण्ड अधिकारी खेतडी के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय मे प्रतिवादी नं0 2 उपस्थित होकर यह कहा कि दिनांक 22.08.2022 को वादी साक्ष्य मे सम्पूर्ण गवाह के बयान लेखबद्व करवाओ तथा गवाह नही आने आने की सूरत मे साक्ष्य वादी बन्द करके उक्त वाद का निस्तारण करों। ऐसा कथन वादी ने ईजलास मे सुन लिया तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा भी आवेदक को कहा गया कि तुम अपने गवाह दिनांक 22.08.2022 को समस्त पेश कर देना वरना उक्त वाद का फैसला करूंगा तथा वैसे भी तुम्हारा मुकदमा खारीज करना है। इस पर प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी के पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया कि एक दिन मे सारे गवाह के बयान कैसे लेखबद्व होगें। तब पीठासीन अधिकारी ने कहा मुझ पर स्थानीय विधायक का दबाव है। इसलिए मुझे मजबूरन उक्त वाद खारीज करना पडेगा। आपको मुझसे न्याय की उम्मीद नही है तो आप अपना मामला किसी अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करवालो वरना अगस्त माह मे मुझे उक्त प्रकरण का निर्णय आपके विरूद्व करना पडेगा। ऐसा कथन सुनकर आवेदक ने उक्त वाद की समस्त आदेशिका व वाद की प्रतिलिपि हेतु दिनांक 16.08.2022 को आवेदन किया जिसकी प्रतिलिपि दिनांक 17.08.2022 को प्राप्त हुई। इसलिए प्रार्थी आवेदक को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उममीद नही है। विधि का सिद्वान्त है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए भी दिखना चाहिए जिसमे एहसास हो कि पक्षकार के साथ न्याय किया जा रहा है। लेकिन अदालत मातहत विपक्षी नं0 7 स्थानीय विधायक के नाजायज दबाव मे होने के कारण आवेदक के साथ न्याय नही कर रहा है और न ही आवेदक को भी अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी खेतडी से कोई न्याय मिलने की कोई आशा है। ऐसी सूरत मे प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि श्रीमान्जी उक्त प्रकरण को स्वयं सुने या जिले के किसी भी निषपक्ष उपखण्ड अधिकारी को स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित है। जिससे आवेदक के साथ न्याय हो सके। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को नियमुनसार सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी से अन्य किसी राजस्व न्यायालय मे हस्तान्तरित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी खेतडी से बिन्दुवार का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी खेतडी ने पत्रांक 1617 दिनांक 30.08.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन बिन्दूवार अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र का खण्ड सं0 1 राजस्व रिकार्ड से संबंधित अंकित तथ्य स्वीकार है। शेषांश अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का खण्ड सं0 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 3 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का खण्ड

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

ं0 4 जिस भांति दर्ज है अस्वीकार है। प्रकरण मे विधि के प्रावधानुसार प्रकिया अपनाई जा रही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 5 अस्वीकार है। उक्त बिन्दू मे तथाकथित बातें मनगढन्त, बनावटी, निराधार व सत्यता से परे है। पीठासीन अधिकारी द्वारा संविधान की मर्यादा मे रहते हुए प्रकरण मे न्यायिक प्रकिया के तहत ही न्यायिक कार्यवाहियां संपादित की गई है। प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 6 कानूनी है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी के द्वारा उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी खेतडी के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। जिसमे विपक्षी नं0 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा विपक्षी संख्या 3 लगायत 5 के विरूद्व दिनांक 30.12.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से मौजूदा वाद मे ऑर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो सारहीन होने से दिनांक 04.01.2017 को खारीज किया गया। मामले मे जबाब दावा रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 26.12.2017 को विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपखण्ड अधिकारी खेतडी के समक्ष मामले मे शीघ्र निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा मामले मे शीघ्र तनकीयात कायम कर निस्तारण हेतु निवेदन किया। जिस पर दिनांक 24.06.2022 को तनकीयात कायम की गई तथा साक्ष्य वादी मे 15.07.2022 को तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 15.07.2022 को पी0ओ0 साहब दौरे पर होने से साक्ष्य वादी मे आगामी पेशी दिनांक 12.08.2022 नियत की गई तथा दिनांक 12.08.2022 को साक्ष्य वादी मे ही आगामी पेशी 22.08.2022 मे नियत की गई। दिनांक 12.08.2022 को उपखण्ड अधिकारी खेतडी के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय मे प्रतिवादी नं0 2 उपस्थित होकर यह कहा कि दिनांक 22.08.2022 को वादी साक्ष्य मे सम्पूर्ण गवाह के बयान लेखबद्व करवाओ तथा गवाह नही आने आने की सूरत मे साक्ष्य वादी बन्द करके उक्त वाद का निस्तारण करों। ऐसा कथन वादी ने ईजलास मे सुन लिया तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा भी आवेदक को कहा गया कि तुम अपने गवाह दिनांक 22.08.2022 को समस्त पेश कर देना वरना उक्त वाद का फैसला करूंगा तथा वैसे भी तुम्हारा मुकदमा खारीज करना है। इस पर प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी के पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया कि एक दिन मे सारे गवाह के बयान कैसे लेखबद्व होगें। तब पीठासीन अधिकारी ने कहा मुझ पर स्थानीय विधायक का दबाव है। इसलिए मुझे मजबूरन उक्त वाद खारीज करना पडेगा। आपको मुझसे न्याय की उम्मीद नही है तो आप अपना मामला किसी अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करवालो वरना अगस्त माह मे मुझे उक्त प्रकरण का निर्णय आपके विरूद्व करना पडेगा। ऐसा कथन सुनकर आवेदक ने उक्त वाद की समस्त आदेशिका व वाद की प्रतिलिपि हेतु दिनांक 16.08.2022 को आवेदन किया जिसकी प्रतिलिपि दिनांक 17.08.2022 को प्राप्त हुई। इसलिए प्रार्थी आवेदक को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उममीद नही है। विधि का सिद्वान्त है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए भी दिखना चाहिए जिसमे एहसास हो कि पक्षकार के साथ न्याय किया जा रहा है। लेकिन अदालत मातहत विपक्षी नं0 7 स्थानीय विधायक के नाजायज दबाव मे होने के कारण आवेदक के साथ न्याय नही कर रहा है और न ही आवेदक को भी अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी से कोई न्याय मिलने की कोई आशा है। ऐसी सूरत मे प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि मामला जिला कलक्टर स्वयं सुने या जिले के किसी भी निष्पक्ष उपखण्ड अधिकारी को स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित है। जिससे आवेदक के साथ न्याय हो सके। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को नियमुनसार सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी से अन्य किसी राजस्व न्यायालय मे हस्तान्तरित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

स्वयं अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने वकील प्रार्थी के कथनों का समर्थन किया तथा कथन किया कि अदालत मातहत मे विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थी सं0 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित तथा अप्रार्थी सं0 6 की तलबी वकील प्रार्थी ने आवश्यक नही होने से तलबी बन्द की गई। अप्रार्थी सं0 3 व 4 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालय एस0डी0एम0 खेतडी द्वारा किसी प्रकार कोई भेदभाव व पक्षपात नही किया गया। एस0डी0एम0 खेतडी का किसी राजनैतिक व पार्टी से कोई संबंध सरोकार एवं दबाव नही है। एस0डी0एम0 खेतडी प्रकरण मे निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते है। प्रार्थना पत्र कतई बेबुनियाद, आधारहीन होने से स्वीकार नही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य कतई गलत दर्ज किये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, खेतडी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतडी मे विचाराधीन मुकदमा उनवानी सज्जन सिंह बनाम मन्ना देवी वगैरह मुकदमा नम्बर 215/2016 दावा घोषणात्मक खातेदार, रिकार्ड दुरूस्ति व स्थाई निषेधाज्ञा, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतडी का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नही बता पाये। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतडी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलेक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:31 IST
Reason: SelfAttested